की सामर्थ्य उसी में हो सकती है, जो भारत के बारे में पहले सोचता है और दल के बारे में बाद में सोचता है। हम पहले भारत के बारे में सोचते हैं और उसके बाद भाजपा के बारे में सोचते हैं।

महोदय, वर्ष 2014 में यह अभियान शुरू हुआ और धीरे-धीरे यह अभियान जन-अभियान और जनान्दोलन बना। इसलिए माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान संशोधन विधेयक, 2017 को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं और विनती करता हूं कि इस विधेयक को पारित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस सरकार द्वारा जो 150वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया गया है, यह उसके लिए सच्चा श्रद्धांजलि होगी, यही मेरा निवेदन है, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा.सत्यनारायण जटिया): श्री प्रभात झा जी, क्या आप विधेयक को वापस लेना चाहेंगे अथवा इसे मत विभाजन के लिए रखा जाए?

श्री प्रभात झा: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की भावना को देखते हुए और यह देखते हुए कि सरकार इस दिशा में चल रही है, इसे वापस लेता हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा.सत्यनारायण जटिया): क्या माननीय सदस्य को विधेयक वापस लेने की इजाज़त दी जाए?

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

उपसभाध्यक्ष (डा.सत्यनारायण जटिया): माननीय सदन की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

The Bill was, by leave, withdrawn.

The Representation of People (Amendment) Bill, 2014 – *Contd.**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, further consideration of the Representation of the Pesple (Amendment) Bill, 2014, Shri Rakesh Sinha.

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): उपसभाध्यक्ष महोदय, हम जिस विषय पर पिछली बार भी विचार-विमर्श कर चुके थे और उसे ही मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं। यह विषय सिर्फ इस देश के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में जहां-जहां जनतंत्र है और जहां-जहां जनतंत्र को लाने की इच्छा है, इच्छा शक्ति है, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनतंत्र को यदि हम परिभाषित करते हैं, तो यह सिर्फ मत का विभाजन मात्र नहीं है, सिर्फ यह लोगों की गिनती नहीं है कि कौन कितने वोट पाता है, कौन कितने वोट खोता है। लोकतंत्र की एक परिभाषा में मूल्य का एक बहुत बड़ा स्थान है कि वोट देने वाला मतदाता और चुनाव जीतने वाला प्रतिनिधि, दोनों के बीच के संबंध को परिभाषित करना पड़ेगा, क्योंकि जनतंत्र दुनिया के लिए नई बात नहीं है। हमने यूरोप

*Continued from 26 July, 2019.

[श्री राकेश सिन्हा]

में एथेंस से लेकर हिंदुस्तान के वैशाली और लिच्छवी तक की जनतांत्रिक व्यवस्था को देखा है। उस जनतांत्रिक व्यवस्था का जो आधुनिक रूप है, जिसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, indirect democracy कहते हैं, उसमें मतदान के द्वारा दलीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकारें बनती हैं। इस दुनिया के सामने जो तीन चुनौतियाँ हैं, वे चुनौतियाँ इस प्रकार की हैं कि जो चुनौती भारत के सामने है, वही चुनौती यूरोप के सामने है, वही चुनौती अन्य जनतांत्रिक देशों के सामने भी है और मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष जी, पहली चुनौती यह है कि जनतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के दौरान जब हम विचारधारा को लेकर जाते हैं, जब हम उम्मीदवारों के चरित्र को लेकर जाते हैं, तो मैं उस संबंध में पं. दीनदयाल उपाध्याय जी को उद्धत करना चाहूंगा। उनकी Political Diary में दो लेख बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम किसे और कैसे मतदान करें एवं हमारा उम्मीदवार कैसा हो, इन दो बातों में उन्होंने जो सूत्र रूप में कहा है, वह कुछ इस प्रकार है कि, "दलीय व्यवस्था में खामियाँ तब आती हैं, जब हम संख्या के बल पर जोर देते हैं। Number और Narrative लोकतंत्र में दोनों का बराबर का स्थान है। यदि Narrative के बिना Number है, तो वह नंबर लोकतंत्र का स्खलन करता है। यदि Narrative है और नंबर उसके पीछे नहीं है, तो वह शक्तिहीन आचरण बनकर रह जाता है। जिस Narrative की बात हम कर रहे हैं, उसमें आज जो दूसरी चुनौती है वह यह है कि लोकतंत्र तभी सार्थक है, जब हम असमानता की लड़ाई लड़ते हैं, असमानता को समाप्त करने की बात करते हैं और यह तभी संभव है जब चुनाव में आने वाला उम्मीदवार, चुनाव में आने वाली राजनीतिक पार्टियाँ सिर्फ कानून के बंधनों से नहीं चलें। जब समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति सरोकार होगा, यदि हम शुचिता को अपनाकर जीवन में लक्ष्य बनाकर चलेंगे, तो महात्मा गाँधी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, मीनू मसानी आदि जैसे लोग, जिन्होंने चुनावों में सरकारी कानून को देखते हुए अपने चरित्र को परिभाषित नहीं किया। उन्होंने Chartered Accountant के पास जाकर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता भी नहीं समझी, क्योंकि राजनीति सरोकारों से युक्त वह प्रक्रिया है, जो आपकी आत्मा को, आपके मन को छवि से बाहर रहकर वास्तविकता में जोड़ती है, यथार्थ से जोड़ती है।

महोदय, मैं अमरीका की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। 1980 के दशक में दो भाइयों ने, जो oil company के बड़े मालिक थे, इनके नाम रिचार्ड कोच और डेविड कोच थे। डेविड कोच वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे। जब वे चुनाव हार गए, तब उन्होंने निश्चय किया कि वे राजनीति को अपनी इन्वेस्टमेंट की एक जमीन बना लेंगे। रिचार्ड कोच और डेविड कोच ने जिस तरह से अमरीका में radical conservatives को बढ़ाना शुरू किया, उस वजह से वह अमरीका, जो अपने आपको एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी कहता है, वहाँ धनवानों ने लोकतंत्र को hostage बना लिया, अपना बंधक बना लिया। डोनेशन की सभी प्रकार की डिज़िटल प्रक्रिया देखते ही देखते धूल में मिल गई। जब दोनों कोच बंधुओं ने अमरीका के लोकतंत्र को अपना बंधक बनाया, तब अमरीका की आँखें खुलीं कि कैसे हम इस चक्रव्यूह से निकलें?

उपसभाध्यक्ष जी, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि कैसे जन सामान्य तक शासन व्यवस्था पहुंचे? जन सामान्य तक शासन व्यवस्था पहुंचाने के लिए आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? आपके सपने क्या हैं? जिस जनप्रतिनिधि का सपना समाज के लिए संघर्ष है, समाज को नई दिशा देना है, एक लीक खींचना है, वह जनप्रतिनिधि ही लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा को लेकर आगे चल सकता है।

[उपसभाध्यक्ष, (प्रो. एम.वी. राजीव गौडा) *पीठासीन हुए]*

मैं फिर से इस सदन को याद दिलाना चाहता हूँ, मैं इसकी चर्चा बार-बार करता हूँ कि किस प्रकार से 1963 में चार उपचुनाव हुए थे। फररुखाबाद से डा. राम मनोहर लोहिया, अमरोहा से आचार्य कृपलानी, जौनपुर से दीनदयाल उपाध्याय जी और सूरत से मीनू मसानी जी चुनाव लड़ रहे थे। एक तरफ सत्ता थी, जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता थी और दूसरी तरफ इन चार लोगों का चुनाव था। उपसभाध्यक्ष महोदय, चुनाव में धन नहीं, बल नहीं, बल्कि मूल्यों पर आधारित चुनाव था। यह सिर्फ विचारधारा के आधार पर ही चुनाव नहीं था, बल्कि मूल्यों के आधार पर चुनाव था। इसलिए मैं कहता हूँ कि मूल्य कोख होती है और विचारधारा शिशु होती है। जब कोख स्वस्थ होती है, तो स्वस्थ विचारधारा की उत्पत्ति होती है। इसीलिए 1963 में जो चार उपचुनाव हुए, उनमें सत्ताधारी पार्टी को हारना पड़ा, चूँकि धन का बल भारतीय लोकतंत्र में प्रवेश कर रहा था। इन चार लोगों की विचारधाराएँ अलग थीं, पार्टियाँ अलग-अलग थीं। दीनदयाल जी जनसंघ के थे, लोहिया जी सोशलिस्ट थे, मीनू मसानी जी स्वतंत्र पार्टी के थे और कृपलानी जी की अलग पार्टी थी। इन चार लोगों की मूल्य के आधार पर एक समानता थी। उस समानता ने भारतीय लोकतंत्र को एक नया रास्ता देने का काम किया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने 2014 में आने के बाद से इस देश में लोकतंत्र को साधन के रूप में उपयोग करते हुए समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के अन्तिम व्यक्ति को, last man को, जिसे गाँधी जी भी याद करते थे, दीनदयाल जी याद करते थे, जय प्रकाश नारायण जी याद करते थे, लोहिया जी याद करते थे, सशक्त करने का काम किया, ताकि उस अन्तिम व्यक्ति के घर में बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो। मैं 2014 से लेकर 2019 तक की नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की नीतियों को wealth equalizing policy कहता हूँ, इसके पीछे एक तर्क है। उपसभाध्यक्ष महोदय, 1922 में पहली बार इंडिया में इनकम टैक्स का सिस्टम लागू हुआ था। 1922 में इनकम टैक्स के सिस्टम को लागू करने के बाद 1930s के दशक में जब सर्वेक्षण हुआ, तो देश के 21 प्रतिशत संसाधनों पर सिर्फ एक प्रतिशत लोगों का कब्जा था। जब हम 1950 में अपने लोकतंत्र के साथ, अपने संविधान के साथ, संविधान की उस प्रस्तावना के साथ आगे बढ़े, जिसमें समानता का लक्ष्य है, जिसमें भ्रातृत्व का लक्ष्य है, उस समानता के लक्ष्य, equality के लक्ष्य को लेकर जब हम आगे बढ़े, तो आज हम देखें कि 1922 से लेकर 2015 तक समानता के उस लक्ष्य में हम कहाँ पहुँचे। 2014 में हमारी

[श्री राकेश सिन्हा]

सरकार आई, तो 1922 से लेकर 2015 तक का मैं एक सर्वे बताता हूँ। देश के 29 प्रतिशत संसाधनों पर एक प्रतिशत लोगों का कब्जा है और नीचे के जो 40 प्रतिशत लोग हैं, जो bottom से हैं, जो नीचे से आते हैं, उनका 23 प्रतिशत संसाधनों पर कब्जा है। अब जिस तरह से 40 प्रतिशत लोग सिर्फ 23 प्रतिशत संसाधनों के साथ जी रहे हैं और एक प्रतिशत लोग 29 प्रतिशत संसाधनों के साथ जी रहे हैं, तो हमें निर्णय करना पड़ेगा कि लोकतंत्र की गाड़ी में हमने अधिकार तो सबको बराबर दिया है, लेकिन वह गैर-बराबरी को बढ़ाता है या गैर-बराबरी को समाप्त करता है। इस संदर्भ में जो सबसे विचारणीय प्रश्न है, वह यह है कि हम एक राजनीतिज्ञ के रूप में जब जनता के बीच में जाते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति से अपने आपको कितना जोड़ कर देखते हैं। जिस समय हम सामान्य व्यक्ति से अपने आप को जोड़ कर देखते हैं, यदि वह सामान्य व्यक्ति हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है, तो हमारे और उसके बीच अंतर सिर्फ दायित्व का होता है, कर्मठता का होता है। उसके और हमारे बीच अंतर धन का नहीं होता है, तभी जाकर हम सामान्य व्यक्ति का विश्वास प्राप्त करते हैं। आज हम लोक सभा, विधान सभा या पंचायतों के चुनावों में जो दृश्य देख रहे हैं, चुनावों में राजनीति को प्रभावित करने के लिए 1952 से जिस प्रकार धन का दुरुपयोग लगातार हुआ है, जिस प्रकार corporate houses का हस्तक्षेप बढ़ता गया है, उसे रोकने के लिए अनेकों बार समितियां बनाई गईं। श्री जयप्रकाश नारायण जी ने Citizens for Democracy के अंतर्गत चुनाव सुधार के लिए समिति बनाई थी और 70 के दशक में उस समिति ने जो रिपोर्ट दी थी, उसी समय श्री जयप्रकाश नारायण जी का छात्र आंदोलन शुरू हुआ था ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। उस आंदोलन का मुख्य नारा था - 'सम्पूर्ण क्रांति का नारा है, भावी इतिहास हमारा है।' वह सम्पूर्ण क्रांति का नारा सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं था, वह उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए था, जिस व्यवस्था परिवर्तन में लोकतंत्र के चुनावी आयाम आते हैं। उन चुनावी आयामों में यह महत्वपूर्ण अंतर रेखांकित किया गया था कि क्या हम चुनावों में अपने जाति, क्षेत्र, भाषा या धन को लेकर जाते हैं अथवा अपने चरित्र को, अपनी विचारधारा को, अपने सपनों को लेकर जाते हैं? इसलिए आज मैं यही कहना चाहता हूं कि श्री राजीव गौडा जी का जो प्राइवेट मेम्बर्स बिल है, उसका एक ही उद्देश्य है कि हम धन को प्राप्त करने की सीमा को बढ़ा दें, लेकिन, उपसभाध्यक्ष जी, धन की सीमा को आप जितना भी बढ़ा दें, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं हो सकती है। आज केवल 100 भारतीय, 458 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, इसलिए धन की सीमाओं को बढ़ाकर हम लोकतंत्र को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। उन सीमाओं के कारण ही तो श्री जयप्रकाश नारायण जी ने दल-विहीन राजनीति की बात की थी। मैं कहना चाहूंगा कि यदि सीमा ही बढ़ानी है, सूचकांक ही बढ़ाना है, तो हम अपने मूल्यों के सूचकांक को ऊँचा करें। यदि लोकतंत्र को सुधारना है, तो हर जन-प्रतिनिधि को 365 दिन, 24 घंटे अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भारत की जनता, जब चाहे, जहां चाहे, हमारी अग्निपरीक्षा ले ले। मैं सामान्य लोगों के लिए जीता हूं, सामान्य लोगों के लिए जन-प्रतिनिधि बना हूं और सामान्य लोगों के लिए ही मरूंगा। जो आदर्श स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान

और स्वतंत्रता के बाद, चुनावों के दौरान मुट्ठी भर लोगों ने प्रस्तुत किए, वही आदर्श लोकतंत्र के लिए lamp light की तरह हैं। उन आदर्शों को छोड़कर हम कानूनों के बंधन बनाकर लोकतंत्र को नहीं सुधार सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं अपील करता हूं, हालांकि अभी आप स्वयं उपसभाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं, लेकिन जब आपने यह बिल दिया था, तब आपके मन में यही बात रही होगी कि धन का प्रवाह बहुत बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि धन का प्रवाह बढ़ रहा है, लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो digitalization की प्रक्रिया शुरू की है, वह काले धन को रोकने के उपाय के लिए ही की है और यही इसका एकमात्र उपाय है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि भारत को, भारतीय लोकतंत्र को एक सफल लोकतंत्र बनाना है, तो हम अपने मूल्यों को फिर से पुनर्स्थापित करें। मूल्य पुनर्स्थापित होंगे, तो लोकतंत्र गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ेगा, इसी के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, जो वर्तमान बिल "the Representation of the People Act" में संशोधन करने के लिए लाया गया है, उसमें प्रस्ताव रखा गया है कि खर्च की जो सीमा निर्धारित है, उसकी जो Upper limit निर्धारित है, उसको समाप्त कर दिया जाए, ताकि खर्चे के रख-रखाव में, accounting में पारदर्शिता रहे, ईमानदारी रहे, क्योंकि चुनाव के दौरान जो mandate लेकर चलते हैं, जो घोषणापत्र के हिसाब से योजना को लागू करने का mandate है, उसको जनता तक पहुँचाने में जो खर्च लगे और एक upper limit निर्धारित करने के बाद उस पर अंकुश लगाया जाए, यह किसी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए पारदर्शिता बनाये रखने के लिए अपर लिमिट को भी समाप्त कर दिया जाए।

मैं समझता हूँ कि अधिकांश लोग इससे सहमत नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि व्यवस्था के प्रति, वर्तमान व्यवस्था के प्रति आपका जो क्षोभ है, जो रोष है, जो पीड़ा है, उसको व्यक्त करने का इसको एक माध्यम बनाया गया है। लोक सभा चुनाव में खर्च की upper limit 70 लाख रुपया है, विधान सभा चुनाव में 28 से 40 लाख निर्धारित किया गया है। यह भी अपने आप में एक anomaly है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक लोक सभा क्षेत्र में 5 विधान सभा क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ में एक लोक सभा क्षेत्र में 8 और 9 विधान सभा क्षेत्र हैं और कुछ राज्यों में 10 और 10 से भी ज्यादा हैं। अगर एक विधान सभा क्षेत्र को 10 से multiply करें और 5 से multiply करें, तो उसमें 50 परसेंट रह जाता है। वास्तव में जो खर्च निर्धारित है, उसकी जो upper limit निर्धारित है, उससे कहीं ज्यादा खर्च होता है। उतनी बात में आपकी बात से मैं सहमत हूँ। यह ईमानदारी से accounting नहीं है, हिसाब के रख-रखाव में पारदर्शिता नहीं है, यह पूरी तरह से सही है। Political parties के नाम से भी खर्च होता है। अगर एक लोक सभा क्षेत्र में 70 लाख खर्च निर्धारित है, खर्चे की upper limit निर्धारित है और पार्टी की तरफ से उसमें 70 लाख की बजाय 70 करोड़ भी खर्च हो जाए, तो उसमें कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है। इस तरह यह पूरी तरह से खुला खेल है, न रखते हुए भी, upper limit fix होते हुए भी, वह upper limit कहीं रहती नहीं है। तो यह भी अपने आप में एक विडम्बना है।

[श्री पी.एल. पुनिया]

यह सीमा एकदम समाप्त कर दी जाए, यह भी मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। एक व्यावहारिक सीमा अवश्य होनी चाहिए। इसको बढ़ाना चाहिए, ताकि उस पैसे में आराम से comfortably अपना चुनाव संचालन हो सके। उसके साथ-साथ इतना भी नहीं होना चाहिए कि जो धनपशु, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है, चाहे वह जितना पैसा खर्च करे, यहाँ तक कि voters को खरीदने में, वोटर्स को पैसे पहुँचाने में-- इलेक्शन से एक दिन पहले रातोंरात गाँव-गाँव पहुँच कर पैसे बॉटने की व्यवस्था जो होती है, वह भी न हो, यह भी हमको देखना चाहिए। व्यावहारिक सीमा निर्धारित करने के बाद एक निगरानी भी अवश्य होनी चाहिए, ताकि वह कठोरता से लागू हो। सीमा निर्धारित होती रही है, निगरानी भी होती रही है, लेकिन निगरानी कितनी प्रभावी रही है, यह भी सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि आपके इस प्रस्ताव से, इस संशोधन से, the Represssentation of the Pepole Act के संशोधन से चुनाव सुधारों की तरफ जरूर कदम आगे बढ़ाने का एक संदेश मिलता है। अनेक बार प्रस्ताव रखा गया है, चर्चा हुई है। स्वर्गीय इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट आयी थी, जिसमें उन्होंने state funding की बात की थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है और उनके बाद भी इस पर खूब चर्चा हुई है कि state funding होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**... state funding अवश्य होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का comparative chart बनाकर सरकार की तरफ से होर्डिंग लगा दें कि यह हर कैंडिडेट का biodata है, जो प्रमुख कैंडिडेट्स हैं, जो राजनीतिक दलों के कैंडिडेट्स हैं, ताकि जनता के बीच में पूरी जानकारी भी हो जाए और हर कैंडिडेट के बारे में जानकारी पहुँच जाए। जगह-जगह पर, प्रमुख स्थानों पर सरकार की तरफ से जन सभाओं की व्यवस्था कर दी जाए और हर राजनीतिक दल का अलग-अलग समय, अलग-अलग दिनों में निर्धारित कर दिया जाए, ताकि सरकार की तरफ से व्यवस्था हो और लोग आयें, अपनी भीड़ लेकर आयें, अपने वक्ता लेकर आयें और वे वहाँ पर जन सभा करके जाएँ। लेकिन उसके बावजूद इसकी कठोरता से निगरानी फिर भी आवश्यक होगी, क्योंकि स्टेट फंडिंग है, लेकिन उसके नीचे से, अलग से कुछ अलग पैसा खर्च करने की जो सम्भावना रहती है, वह पूरी तरह से खत्म हो।

उसके साथ-साथ बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि इससे काला धन रुक जायेगा। इलेक्शन कमीशन ने पिछले चुनाव में कहा था कि जगह-जगह से 1,800 करोड़ रुपये की धनराशि जब्त हुई। पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, यह उसमें सबसे ज्यादा रही है। इसलिए सबसे ज्यादा काले धन का उपयोग पिछले चुनाव में हुआ। जब तीन साल पहले नोटबंदी लागू की गयी थी, उसमें मुख्य लक्ष्य रखा गया था कि उससे काले धन पर अंकुश लगेगा, लेकिन काले धन पर अंकुश लगने के बजाय, काले धन की बढ़ोतरी हुई है, इस फिगर से यह पूरी तरह से स्पष्ट होता है। आपने इलेक्टोरल बॉंड को लागू किया। उसमें भी यही बताया गया कि इससे जो काले धन का प्रचलन है, वह कम हो जायेगा, लेकिन वास्तविकता क्या है? ...**(समय की घंटी)**... जितने भी electoral bond खरीदे गए या मार्केट में आए और खरीदे गए, उनमें से 95 परसेंट एक राजनीतिक

दल के पास चले गए। इसकी क्या वजह है? हमारे बहुत से औद्योगिक घराने, बहुत से प्रभावशाली लोग शिकायत करते हैं कि अब डर का माहौल है। वे अपनी बात बहुत सरलता से, निडरता से कह नहीं सकते हैं। प्रजातंत्र में जिस तरह का माहौल होना चाहिए, स्पष्टता से रहना चाहिए, उसका अभाव होता जा रहा है।

इसी तरह से अगर चुनाव सुधार की बात करते हैं, तो EVM की जगह बैलट पेपर्स से चुनाव करने की मांग हमेशा होती रही है। उसकी तरफ भी हमें बढ़ना चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... इसको अन्यथा न लिया जाए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि EVM का मतलब * है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन EVM की बजाए बैलट पेपर्स से चुनाव कराने की जो मांग रखी गई है, उसका केवल एक राजनीतिक दल विरोध क्यों करता है, जबकि बाकी सब समर्थन करते हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE; THE MINISTER OF COMMUNICATIONS; AND THE MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): Sir, kindly examine whether * should go on record or not.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): We will examine.

श्री पी. एल. पुनिया: सर, मैंने पहले ही कहा कि मैं यह अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह किसी ने कहा है। आप इसको रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। मैं समझता हूँ कि चुनाव सुधारों की तरफ हम सबको बढ़ना चाहिए। यह अनिवार्य है।

इसके साथ ही, चूँकि यह आपका ही प्रस्ताव है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें संशोधन करके इसको दूसरे तरीके से लाया जाए, धन्यवाद।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2014 में संशोधन करने के लिए प्राइवेट मेम्बर बिल आया है। चूँकि, आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है, 64वां महापरिनिर्वाण दिवस है, इसलिए मै सबसे पहले अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर संविधान न होता, तो विशम्भर प्रसाद निषाद आज राज्य सभा में न होते, क्योंकि पहले मनु के आधार पर संविधान था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के आधार पर संविधान था। पहले किसी भी शूद्र व्यक्ति को राजा बनने का, एमएलए बनने का, एमपी बनने का कोई अधिकार नहीं था। आज बाबा साहेब की वजह से हम लोग आए, हमें वोट डालने का अधिकार मिला। पहले राजा का जन्म रानी के पेट से ही होता था, पर जब वोट डालने का अधिकार मिला, तो आज राजा, एमएलए, एमपी, पंचायतों और स्थानीय निकाय में हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है। हम यह कहना चाहते हैं कि इसमें जो चुनाव खर्च की लिमिट की बात

* Whithdrawn by Hon. Members.

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

आई है, तो अभी जैसा हमारे सहयोगी, पी.एल. पुनिया जी बोल रहे थे कि इन्द्रजीत गुप्ता कमिटी की जो सिफारिश थी, उसके अनुसार उसमें स्टेट फंडिंग की बात को सरकार को लाना चाहिए, जिससे राम मनोहर लोहिया जी ने जो सपना देखा था, समाज में समरसता हो और गरीब-गुरबा आदमी भी चुनाव लड़ सकें। चूँकि आज जिस तरह से धन का दुरुपयोग हो रहा है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, उसका आकलन सही नहीं होता है, इसलिए आप यह बिल लाए हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। आज जिस तरह की व्यवस्था है, वह देखने को मिलती है। पूरे देश में एक संदेश गया है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ है। हमने देखा कि लखनऊ में ऐसे पेट्रोल पम्प पकड़े गए, जहाँ चिप लगा दी गई और पता चला कि वहाँ तेल कम दे रहे हैं। इसी तरह से जहाँ चिप है, वहाँ हर चीज़ संभव है, इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिलेश यादव जी ने भी बैलट पेपर से चुनाव कराने के लिए पहल की है और हमारी पार्टी की भी माँग है कि ईवीएम हटाकर मतपत्र, बैलट पेपर से चुनाव कराए जाएं।

दूसरी बात, आज इस देश में ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा है। हम तो कहते हैं कि "जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी" लागू होना चाहिए। उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं, आजादी के 72 साल बीत गए, लेकिन उनका एक भी प्रतिनिधित्व न तो विधान सभा में पहुंचा है, न तो लोक सभा में पहुंचा है, बल्कि पंचायत में भी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि धनबल, बाहुबल के चक्कर में उनको आने का मौका नहीं मिलता है। हम तो चाहते हैं कि जिस तरह की पंचायतों में एससी-एसटी-ओबीसी के लिए व्यवस्था है, सभी के लिए लोक सभा, विधान सभा में भी रिज़र्वेशन होना चाहिए और राज्य सभा में भी होना चाहिए, जिससे जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी यहाँ आने का मौका मिल सके।

मान्यवर, जिस तरह से चुनाव प्रचार में फंडिंग होती है, यह हम लोग चुनावों में देखते हैं और इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का होता है। हम लोगों ने देखा कि मीडिया वाले कहते हैं कि आपकी न्यूज़ तभी छापेंगे, जब आप पेड न्यूज़ के लिए पेमेंट करेंगे। मैं भी चुनाव लड़ रहा था, तब मैंने एक-से पूछा कि आप कितना लेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे 20 लाख रुपया लेंगे। यह विधान सभा की बात है। मैंने कहा कि मैं 20 लाख रुपए तो दे दूँगा, लेकिन आप मेरे अलावा दूसरी पार्टी का प्रचार नहीं करोगे, तो उसने कहा कि यह कैसे संभव है। मैंने उनसे कहा कि आप लोग ऐसे प्रचार करते हो, तो इलेक्शंस में मीडिया का भी बहुत दुरुपयोग होता है। जो पैसे वाले लोग हैं, धन्नासेठ लोग हैं, पेड न्यूज़ से उन्हीं की न्यूज छपती रहती है कि फलां जीत रहा है, फलां जीता रहा है, इनका माहौल बड़ा अच्छा है। ...**(समय की घंटी)**... मान्यवर, इन सभी चीज़ों को बंद किया जाना चाहिए। हमने देखा कि 2018 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव हुए थे। वहाँ पूरी ताकत लगाई गई, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, धन का प्रयोग किया गया, लेकिन वहाँ की जनता को हम बधाई देंगे कि उन्होंने सत्ता और पैसे का तिरस्कार करके समाजवादी पार्टी को लोक सभा में दोनों सीटें जिताने का काम किया था।

मैं आखिर में यह कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज पूरे देश में दल-बदल हो रहा है, जिनके एमएलए नहीं हैं, उनके पास भी सता है, सरकार बनाने के लिए किस तरह से दुरुपयोग होता है, इस पर एक गहन अध्ययन होना चाहिए। सर, हम लोगों ने देखा है कि जो पदाधिकारी चुनाव आयोगों में रहते हैं या चुनाव कराने के काम में लगे होते हैं, वे सत्ताधारी दलों को लाभ पहुँचाते हैं और लाभ के बदले इनाम के रूप में उनको अधिकारियों के रूप में आयोगों में कहीं न कहीं बिठाया जाता है या उनको एमपी-एमएलए बना दिया जाता है। ...**(समय की घंटी)**... इस पर बैन लगना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चुनाव कराने संबंधी किसी पद पर कभी पदस्थ रहा हो, तो उसको कभी भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... वे लोग रिटायर होने के बाद ऐसे पदों पर आ जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, इस बिल का समर्थन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव सुधार तभी संभव है, जब EVM हटाकर पुराने मत-पत्रों के आधार पर चुनाव हों। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): We have three-four names that have come up afterwards and the party's time is up. So, we will keep this to very, very brief interventions, a couple of minutes each. Now, Dr. Ashok Bajpai.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, do we have quorum?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): Yes.

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने जो प्राइवेट मेम्बर्स बिल प्रस्तुत किया है, उस संबंध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, इस देश का लोकतंत्र धीरे-धीरे प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ रहा है और इन 70 सालों में बहुत सारे अनुभव हुए और उन्हीं को लेकर समय-समय पर हमारी चुनावी व्यवस्था में भी सुधार किए गए, क्योंकि लोकतंत्र में एक सतत प्रक्रिया है कि जब जैसे अनुभव होते हैं, उसी हिसाब से उसमें सुधार किए जाते हैं। मान्यवर, हमारे देश का लोकतंत्र आज दुनिया के लिए अनुकरणीय बना हुआ है। जिस शुचिता व पारदर्शिता के साथ इस देश में चुनाव संपन्न होते हैं, जिस पारदर्शिता के साथ यहाँ का लोकतंत्र संचालित होता है, आज वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज इस सदन में एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है, जिससे लोकतंत्र से जुड़ा एक-एक व्यक्ति सीधा वास्ता रखता है। मान्यवर, चुनाव की इस प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग ने चुनाव के खर्चो के लिए एक सीमा निर्धारित की है। मेरा मानना है कि केवल पैसा ही चुनाव का आधार नहीं होता। अगर राजनैतिक कार्यकर्ता जनता के बीच काम करता है, जनता के बीच सेवा करता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसे किसी प्रकार के अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता होती है। अगर हम ईमानदारी से पाँच साल जनता की सेवा करें, जिस काम के लिए हमें जनता ने चुना है, उसका

[डा. अशोक बाजपेयी]

ईमानदारी से निर्वहन करें और जनता के बीच हम अपनी राजनीतिक छवि को पारदर्शी ढंग से प्रस्तुत करें, तो चुनाव में कोई बड़े खर्च की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे भी निर्वाचन आयोग ने 70 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की है।

मान्यवर, भारत जैसे देश में 70 लाख रुपये की सीमा लोकतंत्र के किसी प्रहरी के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। मैं तो कहूँगा कि इस सीमा में कमी की जाए, क्योंकि 70 लाख रुपये इकट्ठा करना एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए दुष्कर कार्य होता है और मुझे उस सीमा को बढ़ाने का कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता है। चुनावी प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी, चुनाव की शुचिता जितनी पवित्र होगी, उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। महात्मा गाँधी जी कहते थे कि साध्य की पवित्रता के लिए साधनों की पवित्रता जरूरी है। केवल साध्य प्राप्त कर लेना ही मेरा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमें यह भी देखना है कि उसके लिए साधन भी पवित्र हों। राजनीति में केवल पद प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह देखना भी जरूरी होता है कि वह पद किन साधनों से प्राप्त किया जाता है। मान्यवर, अगर यह सीमा 70 लाख रुपये से अधिक बढ़ेगी, तो फिर वे संसाधन कहाँ से आएँगे? फिर एक सामान्य वर्ग का कार्यकर्ता, एक सामान्य परिवार में जन्मा व्यक्ति यह नहीं सोच पाएगा कि हम लोकतंत्र में हिस्सा ले सकते हैं या विधान सभा अथवा लोक सभा का सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए इतनी बड़ी धनराशि एकत्रित करना दुष्कर हो जाता है।

मान्यवर, हम चाहते हैं कि जिस सेवा भाव के साथ हमने अपने देश में लोकतंत्र को अंगीकार किया है, उसी सेवा भाव के साथ हम जनता के बीच जाकर, जनता की सेवा करके अपनी छवि बनाने का काम कर सकते हैं। हम पार्टी द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों, पार्टी द्वारा किए गए कामों और पार्टी द्वारा किए गए लोक-कल्याणकारी कार्यो की चर्चा करके जनता के सहयोग को जुटाने का काम कर सकते हैं। ...**(समय की घंटी)**... मान्यवर, इस तरह से हम देखें, तो चुनाव के लिए जो यह सीमा निर्धारित है, वह एक सामान्य व्यक्ति के लिए ही बहुत ज्यादा है। अगर इसे बढ़ाया जाएगा, तो तरह-तरह की विसंगतियाँ पैदा होंगी। वैसे भी पार्टियों के चंदे के लिए हमारी सरकार ने वर्ष 2017 में एक विधेयक लाकर चुनावी बॉन्ड की स्थापना की। 1 जनवरी, 2018 को यह बॉन्ड इसलिए प्रचलित हुआ था कि पार्टियाँ शुद्ध पैसा कैसे अर्जित कर सकती हैं। विभिन्न राजनैतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से नम्बर एक में पैसा एकत्रित करने का अधिकार दिया गया है, जिससे पार्टियाँ अपने खर्च के लिए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ...**(समय की घंटी)**... मान्यवर, अभी तो हमारा समय बाकी है। मान्यवर, अभी 15 मिनट है।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. M.V. RAJEEV GOWDA): The party time is over. Already 15 minutes are over. I am granting you two-two minutes each. Please cooperate.

डा. अशोक बाजपेयी: मान्यवर, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. एम.वी. राजीव गौडा): एम मिनट में समाप्त कीजिए।

डा. अशोक बाजपेयी: मान्यवर, मैं चाहूंगा कि चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए हम अच्छे कामों की चर्चा करें, अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाने का काम करें। माननीय मोदी जी ने जो लोक-कल्याणकारी योजनाएं चलायी हैं, मैं समझता हूं कि किसी भी राजनैतिक कार्यकर्ता के लिए और विशेषकर हमारी विचाराधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। मोदी जी की पांच वर्ष की उपलब्धियां और उसका नतीजा आपने देखा कि वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोक-कल्याणकारी काम हुए, वही हमारे कार्यकर्ताओं की पूंजी थी और उसी आधार पर वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शानदार सफ़लता प्राप्त हुई ।

मान्यवर, मेरा यह मानना है कि राजनीति के लिए सेवा अहम है और हमारी शुचिता सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की पवित्रता और शुचिता को बनाए रखने के लिए मौजूदा सीमा पर्याप्त है। महोदय, चुनाव सीमा को बढ़ाने से चुनाव में काले धन का प्रभाव बढ़ेगा और सामान्य वर्ग में जन्मे लोगों का राजनीति में स्थान अर्जित करना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक है, आज उसका कोई औचित्य नहीं दिखाई पड़ता है।

[उपसभाध्यक्ष (डा .सत्यनारायण जटिया) *पीठासीन हुए]*

डा .अशोक बाजपेयी: मान्यवर ,इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय निर्वाचन आयोग द्वारा जो सीमा निर्धारित है, निर्वावचन आयोग समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करता है और यह देखता है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उस तरह हर चुनाव में एक सीमा को बढ़ाने का काम भी वह करता है। इसके लिए और सीमा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय की आवश्यकता के अनुरूप चुनाव के खर्च की जो सीमा निर्धारित की गई है ,वह पर्याप्त है। मान्यवर, मैं दो मिनट और बोलूंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा .सत्यनारायण जटिया): आप बोलिए।

डा .अशोक बाजपेयी: मान्यवर ,मेरा यह कहने का उद्देश्य था कि लोकतंत्र परम्पराओं से चलता है ,नैतिक मूल्यों से चलता है। जब हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अंगीकार की तो उसके पीछे उद्देश्य यह था कि लोकतंत्र में काम करने वाले लोग जनता के बीच जाकर जनता की जन-समस्याओं से जुड़ेंगे, जनता की जन-समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे और उनका जीवन जनता के लिए समर्पित होगा। यदि इस भाव से राजनैतिक कार्यकर्ता काम करें, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़े धन-बल, बाहुबल या किसी अन्य प्रकार के बल की आवश्यकता होगी। उसकी सेवा ,उसके सामाजिक जीवन की पवित्रता ,उसकी पादर्शिता उसके लिए सबसे बड़ी ताकत होगी, जिससे हम लोकतंत्र में किसी भी बड़े पद को हासिल कर सकते हैं।

[डा. अशोक बाजपेयी]

मान्यवर, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए इस विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं कि हमारे लोकतंत्र के चुनाव की जो सीमा है, उसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है। जो धन की सीमा निर्धारित की गई है, वह पर्याप्त है और चुनाव लड़ने के लिए काफी है।

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Sir, this Private Member Bill of Prof. M.V. Rajeev Gowda, actually, proposes that all caps on election expenditure for candidates must be removed. He claims that this will remove any kind of infirmities in the entire democratic process. I think this is a very dangerous premise and a very dangerous prescription to the problem of money power that we all encounter in the process of elections. I would like to present the context before I go on to comment on the prescription. Presently, the limit for Parliamentary constituencies for each candidate is ₹ 70 lakhs. In some States, it is ₹ 54 lakhs. For Assembly elections, it is ₹ 20 lakhs in smaller States and UTs, and ₹ 28 lakhs in other areas. One important point that needs to be noted is, what the Election Commission is prescribing is the legitimate expenditure for elections, which involves campaigning expenditure, public meetings, vehicles, publicity material, so on and so forth. Whereas, indeed we find that a large amount of money is spent in elections for illegitimate purposes and bribery is a serious problem that is really cutting at the roots of our democracy today. And this problem is all-pervasive in many States in the southern region from where I come, and I am really a little disheartened that I don't find many hon. Members from the South in the House today. Shri Jairam Ramesh is there, but Prof. M.V. Rajeev Gowda also is not there. But, I would have loved to see parties from Tamil Nadu, parties from Karnataka, parties from Andhra Pradesh and parties from Telangana because the entire process of elections and democratic process has been vitiated over the last decades, and if we do not really acknowledge this menace, and if we do not openly speak about this and find solutions, we are actually destroying our democracy, and on a day, when we are payings tribute to Dr. Baba Saheb Ambedkar, I think, it is very important that we really understand that how this is eating at the vitals of our democracy. You see, ₹ 70 lakhs is the authorized expenditure. Let me give you two statistics. In 2014, 33 per cent of candidates who won the elections, spent less than fifty per cent of the permitted expenditure. So, the expenditure of below ₹ 35 lakhs has been shown by them in their statement. I am certainly not saying that there would have been no other expenditure. There is a lot of expenditure that people incur, but, for illegitimate purposes, and it is really a matter

of great tragedy. And according to the Report of the Law Commission last year, 59 per cent of the candidates have spent less than 50 per cent of the allowed expenditure. So, the point I am making is, a lot of money is being spent, but, it is not being spent for legitimate purposes, and even if you hike the limit to ₹ 5 crore or ₹ 10 crores or you remove the limit, people will tend to spend, they will continue to spend money for illegitimate purposes. You cannot legitimise bribery. I can tell you one thing. I am making this point with a heavy heart, and with a sense of great despondency. I think, in Lok Sabha elections, in several constituencies in the southern part of the country, candidates have to spend ₹ 100 crores or ₹ 150 crores per constituency. I think, this is a matter of greaf danger to our democracy. If you cannot spend ₹ 100 crores, being the minimum expenditure, or, ₹ 150 crores, you cannot even qualify as a candidate for many political parties. This has actually made people, who do not have that kind of resources, suffer. In that case, you are not eligible to contest for the purposes of political imperative or electoral imperative. I think, these are serious problems and ills affecting our democracy, and we cannot ignore it. We can put a lid over it, not talk about this, but, in that event, we would be doing a greater disservice to our democracy rather than highlighting it.

Bribery is rampant. I am glad that there are many States where bribery does not happen. But, in many States, candidates have really spoiled the electoral contest. But, at least, I am happy to say that the verdict of the people is not influenced by money. Having been an election analyst, I have really studied this very closely. It is not money that really matters. But, money is being spent lavishly in elections, and this certainly is going to have a very, very, negative impact, and we cannot legitimize this. We have to fight the menace. The Election Commission of India has been making very, very serious and sincere efforts. But, what has been confiscated in elections, is a few hundred crores, but, what actually is spent for illegitimate purposes, Nearly runs into thousands of crores of rupees. I would certainly want this House to really take note of this problem, not gloss over it, not ignore it, so that we can really leave safer and better democracy for the future generations. There is a problem of paid news. You may meet any candidate in the elections. They will tell you, 'We have to spend money on the media.' It is unfashionable to say, but this is a reality. In many, many constituencies, candidates say, 'I am not getting any kind of media coverage because the media does not cover your news until you actually take package!' There are many places where this kind of malpractices are there. This is a problem and we can't ignore it. Let us face it.

[Shri G.V.L. Narasimha Rao]

If this is a legitimate expenditure, we should really make it legitimate. But, doing this under cover, in a dubious and clandestine manner, is giving a bad name to our democracy.

Sir, let me quote what the hon. Supreme Court stated with regard to certain contentions on this matter. In 1975, in the case of Kanwarlal Gupta versus Amar Nath Chawla, the Supreme Court clearly stated that we can't allow money to be spent without any limits as this will distort our democracy. I will read a sentence from what the hon. court had observed. It said, "Expenditure in excess of the prescribed limit is a corrupt practice. The object of the provision limiting the expenditure is two-fold. In the first place, it should be open to any individual or any political party, howsoever small, to be able to contest an election." It goes on to say further, "Elections have to offer a footing of equality for all individuals and for all political parties. Removing curbs on expenditure will certainly not make it equitable. It will certainly give a clear edge to the people who have a huge pocket to contest elections." In Shivarame Gowda versus Chandrashekhar, in a 1999 case, the hon. Court observed that this is a corrupt practice and the Election Commission, under Section 10A of the Representation of the People Act, is empowered to disqualify a candidate for three years. But, how many of such candidates have been disqualified? I can tell you that this happens on a rampant basis. I don't have the numbers, but I can tell you that there would be hardly any candidate who had been disqualified under this Section although it is a very rampant malpractice. In fact, the Law Commission, last year, said that the three years must be increased to something like five years. A disqualification to any political candidate can be a very, very negative impact; it can really deter people from indulging in malpractices.

Widespread distribution of money is shocking. It is actually eroding the values of our democracy. Removing the cap will only make our elections a money race. We can't afford to make our elections a monetary race where people can bid based on their ability to contest elections. That will further diminish our democracy.

As far as the current limits are concerned, I have this observation. ₹70 lakhs is the limit for every State, for every Lok Sabha constituency in the country. The only exceptions are Arunachal Pradesh, Goa, Sikkim and Union Territories, except Delhi. For them, the limit is ₹54 lakhs. I would certainly urge upon the hon. Minister, the Government and the Election Commission because contesting elections in some States is certainly

more expensive. Certainly, the cost of living is more in some areas. The voter population is more in some areas. The geographic territory and terrains are difficult in some areas. So, keeping that in mind, there has to be a rational way of estimating the cost of contesting elections. Therefore, keeping it constant across the entire country may not be a good idea. So, this is a suggestion I would like them to certainly consider. I am saying this out of my personal experiences in Southern States. There used to be a tradition when you had political party cadres who would do everything on a voluntary basis, but today that spirit is gone. So, the cost of contesting elections has indeed gone up because in many places the parties have to actually incur huge costs in getting their cadres to actually work for them. So, this is a reality of our democracy. So, the current limits may be relooked into, given these changing dynamics. Also, the media publicity today has become imperative. You cannot expect to fight elections today without really availing the avenues of mass media and that costs money. So, may be a separate amount can be allocated for media publicity so that both the parties and the media organisations do not have to resort to dubious practices and indulge in malpractices for the sake of contesting elections. So, with these suggestions, I would like to urge upon the Government and the Election Commission of India, let us not close our eyes to the realities on the ground. Let us all work together to really improve our democracy and this is a fitting tribute that we can pay to the founding father of the Constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar. Thank you, Sir.

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक शब्द है और मैं उस शब्द से अपनी बात प्रारम्भ करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है, the spending limits will promote open public visible expenditure and induce honest reporting. जब visibility की बात आती है, honest reporting की बात आती है - अगर किसी के पास बहुत प्रचुर मात्रा में धन हो, तो आज के जमाने में हम सब जानते हैं कि marketing, display और अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा visibility बढ़ाई जा सकती है। आप कल्पना करिए कि जिस प्रकार की marketing के दौर में हम चल रहे हैं, अगर किसी के पास अपार धन खर्च करने के लिए हो, तो क्या उसकी visibility में अंतर नहीं होगा? मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैनेजमेंट में एक थ्योरी होती है, जिसे AIDA थ्योरी कहते हैं। A for Acquired Attention, Create Interest, Develop Desire. जब आप कल्पना करें कि एक सामान्य कैंडिडेट है, अगर उसके के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं होगी, तो वह किस तरह का अटेंशन, किस तरीके का इंटरेस्ट और कैसी-कैसी डिजायर पैदा करेगा, क्या यह लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप होगा ? हमारे यहां समान रूप से प्रतिस्पर्धा की अनुमति होनी चाहिए। फिर भी, यदि किसी के मन में यह बात आती है कि धन की लिमिट नहीं होनी चाहिए, तो अभी हमारे माननीय सदस्य निषाद जी यह कह रहे थे कि एक

[डा. सुधांशु त्रिवेदी]

5.00 P.M.

समय था, जब बड़े लोग, पैसे वाले लोग, प्रभावशाली लोग ही राजनीति में आते थे। आज समाज के हर तबके से लोग राजनीति में आते हैं। परन्तु मैं इसे एक संयोग कहूं या विडम्बना कहूं कि सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से सम्पन्न लोग आपको उन पार्टियों में मिलेंगे, जो अपने को वंचितों और शोषितों के स्वयंभू मसीहा कहते हैं। सबसे ज्यादा करोड़ों के मालिक आपको उन पार्टियों में दिखेंगे, जो कोई किसान, मजदूर की बात कहता था, तो कोई गरीब-गुरबा की बात कहता था और कोई वंचित, शोषित की बात कहता था, यह भी आपको देखना होगा । मैं इसमें उनकी भी गलती नहीं मानता, जैसा इंटरेस्ट, जैसी डिजायर, वैसी डिजायर क्रिएट हो जाती है। इसलिए हमारा यह मानना है कि इस प्रकार का विधेयक संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है । मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह उस पार्टी की तरफ से आ रहा है, जहां कभी लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री होते थे, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि उनके कुर्ते में पैबंद लगा था, तो उन्होंने अपने सचिव से यह कहा था कि कोट के नीचे छिप जायेगा, हमारे देश के दो-तिहाई लोगों को तो यह कुर्ता भी नहीं मिलता है। आज वहां पर स्थिति यह उत्पन्न हो जाए कि हमें लगे कि धन की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अभी मेरे साथी नरसिंहा राव जी ने कहा, भाई, दक्षिण के जो राज्य हैं, जहां हमने भी देखा है कि बहुत ही समृद्ध, सामर्थ्यशाली और धन-बल से मजबूत लोग होते हैं, ऐसे MLAs होते हैं, जिनके पास अपने हैलिकॉप्टर्स हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, तो दूसरी तरफ आप यह भी देखिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य और मध्य प्रदेश के भी वे हिस्से, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, वहां पर विधायक आर्थिक दृष्टि से इतने सक्षम नहीं होते हैं। अब मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि आर्थिक दृष्टि से यदि हम इस प्रकार level playing field नहीं रखेंगे, तो यह लोकतंत्र के वास्तविक स्वरूप के साथ अन्याय होगा और वैसे मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि यह अन्याय संयोग से उस पार्टी के द्वारा आ रहा है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे। उनके बारे में उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग लोग जानते होंगे- श्री वंशीधर शुक्ल। वे All India Radio में employee थे और चूंकि स्वतंत्रता आन्दोलन में उन्होंने शिरकत की थी, इसलिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। मगर स्वतंत्रता के बाद ही उन्होंने जो दृश्य देखा था, उसे उन्होंने कविता में वर्णन किया है। उन्होंने देखा कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और धन का प्रभाव राजनीति में बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर उन्होंने कुछ पंक्तियां, उस कांग्रेस के लिए लिखी थीं, जिसका कभी सदस्यता शुल्क चार आने हुआ करता था। उस वक्त नारा होता था - "एक चवन्नी चांदी की-जय बोलो महात्मा गांधी की" और चार आने के बाद, जब कांग्रेस सत्ता में आई, तो बदलाव हुआ, जेल से निकल कर सत्ता में पहुंचे और धन-बल में कहां से कहां तक पहुंचे। वंशीधर शुक्ल जी ने लिखा कि-

"कहां ऊ बेड़िन की झंकार, कहां अब कुर्सी गद्देदार
कहां चवन्नी मांगे गुजर, कहां अब रिश्वत बेशुमार। "

उन्होंने आगे लाइन लिखी कि-

"हुईगवा स्वतंत्र भारत हमार"

यानी भारत की स्वतंत्रता पर उनका जो दर्द था, वह छलका और उसके आगे उन्होंने लिखा कि-

"ऐसी स्वतंत्रता आई है कि कालिज की सब खिड़की स्वतंत्र।
टीचर, लड़का, लड़की स्वतंत्र, हाकिम स्वतंत्र, हरहा स्वतंत्र।।
गलियार घूर चरहा स्वतंत्र, परतंत्र हुए ईमानदार।
हुईगवा स्वतंत्र भारत हमार।।"

इसलिए मैं कहता हूं कि यह भावना मत आने दीजिए और हम उस पार्टी से आते हैं जहां दो-दो प्रधान मंत्री ऐसे आए, जिन्होंने प्रचारक जीवन लिया था। सब संपत्ति और सब कुछ छोड़ दिया था, एक पैसा भी अपना नहीं था, वहां से, शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचे और राजनीति की स्वस्थ परम्परा कायम की। हमारे यहां तो सदैव से त्यागी, बैरागी, संन्यासी और फकीर की इज्जत ज्यादा होती है। उसकी इज्जत नहीं होती है, जिसने ज्यादा पैसा कमाया।

मान्यवर, आज़ादी के समय शहर का सबसे पैसे वाला आदमी और शहर का सबसे इज्जतदार आदमी, दो अलग-अलग लोग होते थे। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि सबसे आगे वह पहुंचता है, जो सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ पाकर नहीं पहुंचता है। मैं अन्त में सिर्फ यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस विधेयक का मैं विरोध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक संविधान की मूल भावना, भारतीय समाज की मूल भावना, भारतीय समाज की परम्परा और स्वतंत्रता आन्दोलन की परम्परा की मूल भावना के पूरी तरह विरोध में है। मैं यह पंक्ति कहकर समाप्त करता हूं कि -

" न तख़्त-ओ-ताज में न लश्कर-ओ-सिपाह में है।
जो बात मर्द-ए-क़लंदर की बारगाह में है।।
जो दिल से देखता है तू बस है वही दुनिया।
ये संग-ओ-ख़िश्त नहीं जो तेरी निगाह में है।।"

और आगे है-

"हर मुकाम से आगे मुकाम है उसका
जो बदगुमां अभी आवारगी की राह में है।"

धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): माननीय मंत्री जी।

डा. रवि शंकर प्रसाद: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इतने गुणी, विद्वान सदस्यों ने इतनी प्रामाणिक बातें, इतने तर्कों के साथ रखी हैं। इसलिए मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक थोड़ा सा ज्यादा समय दिए जाने की प्रार्थना करूंगा। अब आपका जो निर्देश हो। अगर आप कहें कि 10 मिनट में खत्म कर दूं, तो मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, किन्तु सामान्यत: मुझे...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप तो "गागर में सागर" भर सकते हैं। आप विधि-विशेषज्ञ हैं, आप विधिवेत्ता हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद : नहीं सर। मैं साहित्यकार नहीं हूं। मैं आपसे 20-25 मिनट दिए जाने की अपेक्षा कर रहा था, फिर जैसा आप बताएं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): सूक्ष्म रूप में बता दीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदय, मेरे बोलने के बाद, उन्हें भी तो उत्तर देना है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप बोलना तो प्रारम्भ करें। अभी 10 मिनट का समय शेष है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: ठीक है सर, मैं आपकी अनुमति से गागर में सागर भर देता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Mr. Deputy Chairman, Sir, the hon. Minister has said that he would like to give a detailed reply on such an important topic. Of course, the mover of the Resolution also would like to respond to the reply given. So, if the rules permit and the hon. Minister is willing to speak next time, whenever the Bill comes up, and if the House decides so, we may take up the next Bill in the priority till the House adjourns today.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): In that case, it would be taken up in the next Session only.

SHRI V. MURALEEDHARAN: Obviously, Sir, it would be in the next Session. So, if the House decides so, it can be taken up next time.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): यदि सदन की इजाजत हो तो अनुमति दे दी जाए?

कुछ माननीय सदस्य: जी, अनुमति दे दी जाए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): ठीक है, अनुमति दी जाती है।

The Foreign Investment in Financial Services, Critical Infrastructure and Technology Affecting National Security (Regulation) Bill, 2018- *Under Consideration*

Now, we shall take up the Foreign Investment in Financial Services, Critical Infrastructure and Technology Affecting National Security (Regulation) Bill, 2018. Dr. Narendra Jadhav.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Vice-Chairman, Sir, With your permission," I rise to move:

> "That the Bill to provide for measures to ensure national security while promoting foreign investment, to reform the process of examination of such investment, *vis-a-vis* their effect, if any, on national security and to establish a Committee on Foreign Investment to effectively guard against the risk to national security posed by certain type of foreign investment in financial services, critical infrastructure and technology sector and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration."

This Bill is about new threats to our national security. The title of the Bill is the Foreign Investment in Financial Services, Critical Infrastructure and Technology Affecting National Security (Regulation) Bill, 2018. This Bill essentially seeks to: One, protect our national security, while promoting foreign direct investment. This is sought to be done by reforming the process by which foreign investments are examined in the light of national security considerations. Why is this Bill necessary in India at this point of time?

Sir, let me offer you a perspective, based on a real life example. I would like to recount what happened in the United States before the US-China trade war began. As the international media has reported, the Chinese Government wields a lot of influence on the multinationals of China, including Alibaba. In January, 2017, Alibaba's subsidiary, called ANT Financial attempted to buyout a company, called, Moneygram, a big US fintech company. And, the Committee of Foreign Investment in the US, which is an inter-agency committee under the US Treasury, rejected the buyout, stating national security concerns. What were the reasons for the rejection? It is very interesting to see. The first reason was access to sensitive data. Had they permitted the take-over of